

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

26/9/25

पंजाबली पेराडुडी उपपत्र के अन्तर्गत उपर ।
वकील एवं अधिवक्ता के द्वारा मूल पत्र के अन्तर्गत
के आधार पर विषय से जुड़ा है। इन उपपत्र के अन्तर्गत
उत्तर की कोड़ी अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गयी है।
है। अतः उपरोक्त कार्यवाही पर अभी परत पर वापिस
दिया जा रहा है। पंजाबली पेशवा सुभार द्वारा वकील
के अन्तर्गत बास अधिवक्ता के अधिन में कार्यवाही
सुनाया गया ।


उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

न्यायालय सप्लाय

रविकांत सुमन आर्य
तहसील व जि